

- आदेश -

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती बस्तुक लिपिकोय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थियों ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः उक्त इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज				स्वीकृत किया गया इन्द्राज			
क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा (एकड़)	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
353	90	कामला देवी पत्नी लोपाण्डु शर्मा अशोक शर्मा कल्याण शर्मा	277	775	कामला देवी पत्नी लोपाण्डु शर्मा अशोक शर्मा कल्याण शर्मा		

क्र. सं. :- 353
दिनांक :- 20/10/21

उप तहसीलदार, मौलासर

शिवाजी प्रभारी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडियाना)
PCNSA-2021, मौलासर
दिनांक :-

शिवाजी प्रभारी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडियाना)
PCNSA-2021, मौलासर
दिनांक :-

क्र. सं. :-
दिनांक :-

उप तहसीलदार, मौलासर को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार कार्य प्रारम्भ करने।

उप तहसीलदार, मौलासर